फा.सं. 7(25)/संस्था-III(क)/97

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

नई दिल्ली , दिनांक 15 अप्रैल, 1998

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- पशु चिकित्सीय पदों से संबंधित प्रैक्टिस बंदी भत्ते की दरों में संशोधन ।

*****

मुझे इस मंत्रालय के कार्या. आ. संख्या एफ-1(30)-कार्या.कक्ष/88 दिनांक 11.5.98 का हवाला देने का निदेश हुआ है । जिसमें पशुचिकित्सीय पदों के लिए अलग-अलग वेतन श्रेणियों के अनुसार 600 रू. से लेकर 800 रूपए तक का प्रैक्टिस बंदी भत्ता स्वीकृत किया गया था । जुलाई ,1995 में इन दरों में और संशोधन किया गया था, जिसके अनुसार इनहें बढ़ाकर 600 रू. से 900 रू. तक कर दिया गया था । पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट के पैरा 55.291 में सिफारिश की थी कि पशुचिकित्सकों को वेतन श्रेणियों के आधार पर दिए जाने वाले प्रैक्टिस बंदी भत्ते की मौजूदा प्रणाली को बदल दिया जाए और इसके स्थान पर उन्हें यह भत्ता, उन्हें मूल वेतन के 25 प्रतिशत की एक समान दर पर दिया जाए । बशर्ते इस स्थिति के, कि वेतन तथा प्रैक्टिस बंदी भत्ते का योग 29.500 रू. से अधिक नहीं होना चाहिए । सरकार ने आयोग की उस सिफारिश पर विचार किया और इसे स्वीकृत कर लिया है ।

2. तदनुसार राष्ट्रपति, सहर्ष यह निर्णय लेते हैं कि अब से पशु चिकित्सीय पदों के लिए प्रैक्टिस बंदी भत्ता मूल वेतन के 25 प्रतिशत की एक समान दर से अदा किया जाएगा । साथ में शर्त यह होगी कि इस प्रकार दिए जाने वाले प्रैक्टिस बंदी भत्ते तथा वेतन का योग 29.500 रू. से अधिक न हो । ये संशोधित दरें केन्द्रीय सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली 1997 के प्रावधानों के अनुसार संबंधित अधिकारियों को मान्य संशोधित वेतन पाने की तारीख से लागू होंगी ।

3. संशोधित दरों पर देय प्रैक्टिस बंदी भत्ता सिर्फ उन्हीं पशु चिकित्सक पदों पर दिया जाएगा जिनके लिए न्यूनतम आवश्यक योग्यताओं के रूप में बी.वी.एस.सी और ए.एच. की डिग्री के साथ-साथ भारतीय पशुचिकित्सा परिषद में पंजीकरण अपेक्षित हो ।

....2/-

4. वर्तमान में सभी सेवा संबंधी मामलों में प्रैक्टिस बंदी भत्ते को "वेतन" के रूप में समझा जाएगा । अर्थात महंगाई भत्ते की गणना के समय, यात्रा भत्ते और अन्य भत्तों की हकदारी और सेवानिवृत्ति के लाभों की गणना के समय इस भत्ते की गणना वेतन के रूप में की जाएगी ।

5. ये आदेश रेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय तथा आणविक ऊर्जा विभाग के अधीन पशु चिकित्सीय पदों पर लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनके संबंध में अलग से आदेश जारी किए जाएंगे ।

(मधुलिका पी. सुकुल)
निदेशक (वेतन)

सेवा में,

सभी मंत्रालय तथा विभाग आदि ।